(97)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक :–BRRDA(HQ)-43/2023 – 2397   पटना/दिनांक :– 05/09/24

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
सभी कार्य प्रमण्डल।

विषय :– कार्य अनुबंधो में संवेदकों के GST दावों के जाँच एवं निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :– पत्रांक–2233, दिनांक–13.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ऐसे कार्य अनुबंधो जिनके प्राक्कलनों में GST सम्मिलित नहीं रहा है अथवा प्राक्कलनों में GST दर में परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, में संवेदको के जी०एस०टी० दावों के भुगतान के संबंध में प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से निदेश निर्गत किये गये है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि संबंधित कार्य प्रमण्डलों द्वारा Claim समर्पित करने में लापरवाही बरती जा रही है। अतः आपको निदेशित किया जाता है कि Claim के त्वरित निष्पादन हेतु निम्न् प्रक्रिया का अचूक रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें :–

- संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रसंगाधीन पत्र के साथ संलग्न Checklist के अनुसार ही दावों (Claim) से संबंधित अभिलेख समर्पित करेंगे। Checklist पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर एवं मुहर रहना अनिवार्य है।
- वैसे दावे जो पूर्व में किये गये है और उनके निस्तारण के क्रम में वांछित कागजातों को सूचना प्राप्त होने के बावजूद यदि एक माह के अंतर्गत संवेदक द्वारा संबंधित कार्य प्रमण्डलों को उपलब्ध न कराया जा सके तो वैसे दावों का निराकरण भविष्य में विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।
- संबंधित कार्य प्रमण्डलों द्वारा शत प्रतिशत Checklist के आलोक में भेजे गये दावों (Claim) को ब्राडा द्वारा 03 दिनों के अन्दर GST परामर्शी को भेजा जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा ब्राडा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दावों (Claim) को समर्पित नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे संवेदकों की पुष्टि किसी कर्मी अथवा पदाधिकारियों के साथ सम्पर्कता स्थापित किये जाने में होती है तो संवेदकों के दावे को निस्तारण नहीं किया जाएगा तथा संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

CamScanner

- GST परामर्शी के कार्यालय में दावों (Claim) से संबंधित संवेदक की आवाजाही/किसी भी प्रकार की सम्पर्कता की पुष्टि होने पर विभाग द्वारा उनके साथ किये गये करार को रद्द किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता Claim से संबंधित अभिलेख/पत्र विशेष दूत के माध्यम से ही BRRDA कार्यालय को भेजेंगे। किसी भी स्थिति में संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से BRRDA कार्यालय में Claim समर्पित नहीं करेंगे।
- कार्य प्रमण्डलों से प्राप्त दावों की जाँच वित्त प्रबंधक (Taxation) द्वारा 03 दिनों के अन्दर कर लिया जायेगा एवं Checklist के अनुसार पूर्ण दावों को GST परामर्शी को भेज दिया जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित कागजात वित्त प्रबंधक (Taxation) प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा के अनुमोदन के आलोक में प्राप्त करेंगे।
- GST परामर्शी 15 दिनों के अन्दर दावों का निष्पादन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। GST परामर्शी किसी भी स्थिति में संवेदक अथवा कार्य प्रमण्डल से सीधे संपर्क नहीं करेंगे।
- संबंधित संचिकाओं पर आगत एवं प्रेषण की तिथि प्रत्येक कार्यालय/पदाधिकारी द्वारा अंकित की जाएगी।

उपर्युक्त निदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023 - 2397
पटना/दिनांक– 05-09-2024

प्रतिलिपिः– M/s SKKSS & Co, GST परामर्शी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023 - 2397
पटना/दिनांक–

प्रतिलिपिः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार–सह–GST नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/वित्त प्रबंधक (Taxation), BRRDA को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023 - 2397
पटना/दिनांक–05-09-2024

प्रतिलिपिः– सभी योजनाओं के नोडल/वरीय नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023 - 2397
पटना/दिनांक– 05-09-2024

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

CamScanner